न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 83/2021/राजस्व वाद

उनवान

1. उदयसिंह पि. कानसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
2. भूरकुंवर बेवा कानसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर

– वादीगण

बनाम

1. भगवानसिंह पि. नारायणसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
2. लोकेन्द्रसिंह पि. विजयसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
3. मेहरबानसिंह पि. नारायणसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
4. देवीसिंह पि. विजयसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 , 183 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

निर्णय **दिनांक : 24/01/2023**

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा ग्राम रावल तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 6 की आराजी किता 10 रकबा 4.8436 हेक्टर में से आराजी ख.न. 31 रकबा 0.3035 हेक्टर भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 188 , 183 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण ने जबरन अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। ... दिनांक 29.10. 2021 को वादग्रस्त आराजी की पैमाईश कार्यवाही ... कब्जा प्रतिवादीगण का पाया गया है फिर भी प्रतिवादीगण कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। वादीगण के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण को निरन्तर कब्जा छोडने की कहा जा रहा है परन्तु प्रतिवादीगण मौके पर वादीगण के खातेदारी की आराजी से कब्जा नहीं हटा रहे है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करे। वाद कारण दिनांक 29.10.2021 को उस समय उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने ख.नं. 31 की आराजी पर से कब्जा छोडने को तैयार नहीं हुये।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम रावल तहसील रायपुर की आराजी ख.न. 31 रकबा 0.3035 हेक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 5 के माध्यम से मौके पर वादीगण को कब्जा दिलवाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि कवे वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करें। वाद पत्र के साथ नकल जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 6 की प्रमाणित प्रति एवं नक्शा ट्रेस , खसरा गिरदावरी की नकल व सीमाज्ञान रिपोर्ट दि. 29.10.2021 की प्रति पेश की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्य वादी में वादीगण की ओर से उदयसिंह , पर्वतसिंह , मेहरबानसिंह के शपथ पत्र पेश किये गये। प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से विस्तृत मौका रिपोर्ट ली गई जिनके द्वारा दिनांक 09.09.2022 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

वाद पत्र , राजस्व रिकार्ड , अन्य दस्तावेज , शपथ पत्रों एवं तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं विद्धान वकील वादीगण द्वारा की बहस पर गौर किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम रावल तहसील रायपुर की आराजी ख.न. 31 रकबा 0.3035 हेक्टर भूमि वादीगण के शामलाती खातेदारी की है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.10.2021 को किये गये सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 09.09.2022 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम रावल की आराजी ख.नं. 31 की भूमि पर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर रखा है जबकि वादग्रस्त आराजी से उनका कोई संबंध सरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible], जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः प्रस्तुत वाद वादीगण स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रावल तहसील रायपुर की आराजी ख.न. 31 रकबा 0.3035 हेक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 को बेदखल कर वादीगण को कब्जा संभलाया जावे।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 83 / 2021 / राजस्व वाद

उनवान

1. उदयसिंह पि. कानसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
2. भूरकुंवर बेवा कानसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर

– वादीगण

बनाम

1. भगवानसिंह पि. नारायणसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
2. लोकेन्द्रसिंह पि. विजयसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
3. मेहरबानसिंह पि. नारायणसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
4. देवीसिंह पि. विजयसिंह जाति राजपूत नि. रावल तहसील रायपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 , 183 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद वादीगण स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रावल तहसील रायपुर की आराजी ख.न. 31 रकबा 0.3035 हेक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 को बेदखल कर वादीगण को कब्जा संभलाया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/01/23 को जारी की गई।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा					
स्टाम्प वजह सबूत					
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिशनर			फीस कमिशनर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक मीजान			मुतफरिक		
			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner